

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामेश्वर पिता लाभचन्द निवसी जहाजपुर

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 367/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 7641/4742, 7642/4751, कुल किता रकबा हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 7641/4742, 7642/4751, कुल किता रकबा हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/367/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.367/2024 अनवान रामेश्वर पिता लाभचन्द निवसी जहाजपुर बनाम तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगडी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 7641/4742, 7642/4751, कुल कित्ता रकबा हैक्टियर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगडी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रूपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगडी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा